

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Phone/Fax No:-01368-222215

पत्रांक:- 2651 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, फरवरी, 26..... 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रौली से कुण्ठे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 हे० वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० 08बी/यू.सी.पी./06/271/2015/एफ०सी०/1169, दिनांक 06-09-2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र सं० 456/FP/UK/ROAD/11576/2015 दिनांक 14-08-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग (अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरी मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के पत्रांक-107/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि०ख०), दिनांक 19-02-2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे मूल में संलग्न कर चार (4) प्रतियों में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरी मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के उक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: 2651 / 12-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरी मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) को उनके पत्रांक 107/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि०ख०), दिनांक 19-02-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सि0ख0)बैजरा
मुख्यालय- सतपुली(गढ़वाल)।

E-mail:cepmgsybaijro@rediffmail.com

पत्रांक :- 107/ पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)/
सेवा में

दिनांक : 19/02/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय:- जपनद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रौली(व्यासी)-कुनैथ मोटर मार्ग हेतु 4.968 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/271/2015/एफ0सी0/2073 दिनांक 14.03.2017 कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र सं0 3198/FT/UK/ROAD/11576/2015 दिनांक 31.03.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयाकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	शासन की शर्त सं0-1 प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.936 हे0 ग्राम-कुण्ठ सिविल सोयम भूमि दर प्रतिकर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0-1 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम-मरगुडण पट्टी-रावतस्यू, तहसील श्रीनगर के नॉन जेड ए श्रेणी 9(3)ख-2 झाडी खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकवा 16.263 हे0 मध्ये सिविल एवं सोयम भूमि का 9.936 हे0 को वन विभाग के नाम जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या-1400/ 26-प्रशा0अधि0 (सा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौडी अप्रैल 16. 2018 के द्वारा नामान्तरण हस्तान्तरण कर दी गई है (संलग्न Annexure-1)। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। वांछित प्रमाण पत्र (संलग्न Annexure-2)
2	शासन की शर्त सं0-2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0-2 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव हेतु धनराशि रु0 5781083.00 (सत्तावन लाख एक्यासी हजार तिरासी रु0) कॉर्पोरेशन बैंक के चालान के माध्यम से बैंक आई0डी0 सं0 13115762015691 द्वारा जमा कर दी गई है। (संलग्न Annexure-3)
3	शासन की शर्त सं0-3 शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	शर्त सं0-3 याचक विभाग द्वारा वचन बद्ध है कि यदि एन0पी0वी0 की बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी (संलग्न Annexure-4)।
4	शासन की शर्त सं0-4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यकता है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शर्त सं0-4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 5781083.00 (सत्तावन लाख एक्यासी हजार तिरासी रुपये मात्र कॉर्पोरेशन बैंक चालान के माध्यम से आई0डी0 सं0 113115762015691 द्वारा जमा कर दी गई है एवं सूचना प्रेषित है।

5	शासन की शर्त सं0-5 सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0-5 वंछित प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न Annexure-5)।
6	शासन की शर्त सं0-6 State Govt. may review the information/date given in the district profile and the shortfall, if any, in the progress of CA may be suitably clarified.	शर्त सं0-6 वांछित प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न Annexure-6)।
7	शासन की शर्त सं0-7 State Govt. may submit the original copies of all revised documents to be placed in the hard copy of the proposal.	शर्त सं0-7 उपरोक्त कार्यवाही कर दी गई है।

विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जानी है।

1	वनभूमि की विधिक परिस्थित बदली नहीं जायेगी।	शर्त नं0 01- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिये वचनबद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त नं0 02- के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य है (संलग्न Annexure-4)।
3	प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चयनित 9.936 हे0 ग्राम कुण्ठ सिविल एवं सोयम भूमि को 06 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	शर्त नं0 03- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-मरगुड पट्टी-रावतस्थूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड ए श्रेणी 9(3)ख-2 झाडी खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकबा 16.263 हे0 मध्ये सिविल एवं सोयम भूमि का 9.936 हे0 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी के द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने के लिए सहमत है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आप-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लागाया जायेगी।	शर्त नं0 04- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए कोई भी लेबर न लगाने के लिये के लिए सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त नं0 05- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमि पर 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करने तथा उस पर Forward एवं Back bearing अंकित करने के लिये के लिए सहमत है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस / कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	शर्त नं0 06- के अनुपालन में प्रयोक्ता प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस / कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे के लिये वचनबद्ध है।
7	परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	शर्त नं0 07- के अनुपालन में परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने के लिये सहमत है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त नं0 08- के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थित में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं करने के लिए सहमत है।

9	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 567 से अधिक न हो।	शर्त नं० 09- के अनुपालन में कम से कम वृक्षा का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 567 से अधिक न होने के लिए बचनबद्ध है।
10	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation की जायेगी।	शर्त नं० 10- के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation किये जाने के लिए सहमत है (संलग्न Annexure-5)
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवों का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त नं० 11- के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवों का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंके जाने के लिए सहमत है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त नं० 12- के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना के लिए राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	शर्त नं० 13- के अनुपालन में ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें यदि विधिवत् में दी गयी शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के लिए सहमत है।

इस प्रकार उपरोक्त इंगित शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:-उपरोक्त अनुसार।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)बैजराँ
मुख्यालय सतपुली,(पौड़ी गढ़वाल)।

संख्या: 1400/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी अप्रैल 16, 2018

“संशोधित आदेश”

इस कार्यालय के आदेश संख्या: 1054/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा व्यासी-रौली-कुण्ठ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्थू तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख-2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो, खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु त्रुटिवश अंकित किया गया था जबकि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्थू तहसील श्रीनगर के खाता संख्या 318 खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 9.936 है0 भूमि की आवश्यकता है।

अतः इस कार्यालय के उपरोक्त वर्णित आदेश को संशोधित करते हुए व्यासी रौली कुण्ठ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्थू तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख-2 झाड़ी, खाता सं0 318, खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 9.936 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अगिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि:

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
 - 4- अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0(सि0ख0)बैजरा
मुख्यालय सतपुली
 - 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 4097 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, फरवरी, 10 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय-

जनपद-पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रौली से कुण्ठे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/11576/2015

सन्दर्भ-

आपकी पत्र सं० 1911/1जी-6070, दिनांक 15-01-2021 एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं० 1540/7-1, दिनांक 25-01-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय ने अपनी पत्र सं० 08बी/यू.सी.पी./06/271/2015/एफ.सी./2073, दिनांक 14-03-2017 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी, जिसे इस कार्यालय की पत्र सं० 3145/12-1, दिनांक 21-04-2018 द्वारा आपको संलग्नकों सहित प्रेषित की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं०-1 के अनुपालन में अवगत करना है कि विषयगत प्रकरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17-10-1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17-03-1997 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित होने के कारण पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(के०एस० रावत)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: 4097 / 12-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०सि०खं०-बैजरौ, मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) को सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

(के०एस० रावत)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Amesur - 2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रौली से कुण्ठ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम- मरगुण पट्टी -रावतस्यू के तहसील-श्रीनगर, के नॉन जेड० ए० श्रेणी 9(3)ख-2 झाडी, खाता सं० 318, खसरा नं० 42 रक्बा 16.263 है० मध्ये 9.936 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800 (II) /1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वक्ताधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Forward to PMU Baijro

Forests - Wildlife and

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-08-2017

Agency Name.	PMGSY BAURO
Application No.	113115762015691
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive engineer PMGSY (ID) Baijro H.Q-Satpuli Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	5781083/-

Amount in Words : Fifty Seven Lakh Eighty One Thousand and
Eighty Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113115762015691
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account

* This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Send a line of confirmation through

UTR No. ORBCH.17313089359

dt 09-11-2017

8/23/2017, 12:06 PM

Proposal no. FP/UK/ROAD/11576/2015

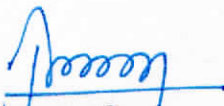
Annexure - 3

परियोजना का नाम	:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली-ब्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
-----------------	--

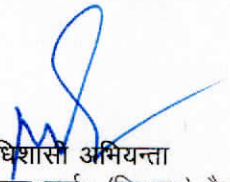
एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि से भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली



अधिसास अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली-व्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
-----------------	----	---

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)बैजरो मु०-सतपुली के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़के के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल वे पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख स्ट्रिप प्लानटेशन किये जाने हेतु वचनबद्ध है।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुण्ठ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.962 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र)

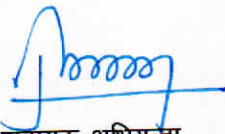
“प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित चयनित स्थल ग्राम—मरगुड़, पट्टी—रावतस्यूँ, तहसील—श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड०ए० श्रेणी 9 ख (2) ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हैं, के खाता सं० 318 झाड़ी खसरा नं० 42, रक्वा 16.263 है० मध्ये 11.00 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। यह प्रमाण—पत्र वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेंज, नागदेव की जांच आख्या पत्रांक—736/12-1, दिनांक 10-03-2018 से दी गई जांच आख्या के आधार पर दिया जा रहा है”।


(लक्ष्मण सिंह रावत, भा०व०सेवा)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

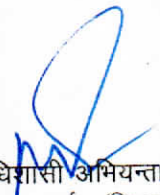
परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली-व्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
-----------------	----	---

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)बैजरो मु०-सतपुली के द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों व भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली



अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०) बैजरो
मुख्यालय - सतपुली

शाय:- मरगुल

परी:- रावल स्य

一、

उद्योग:- सीपाग

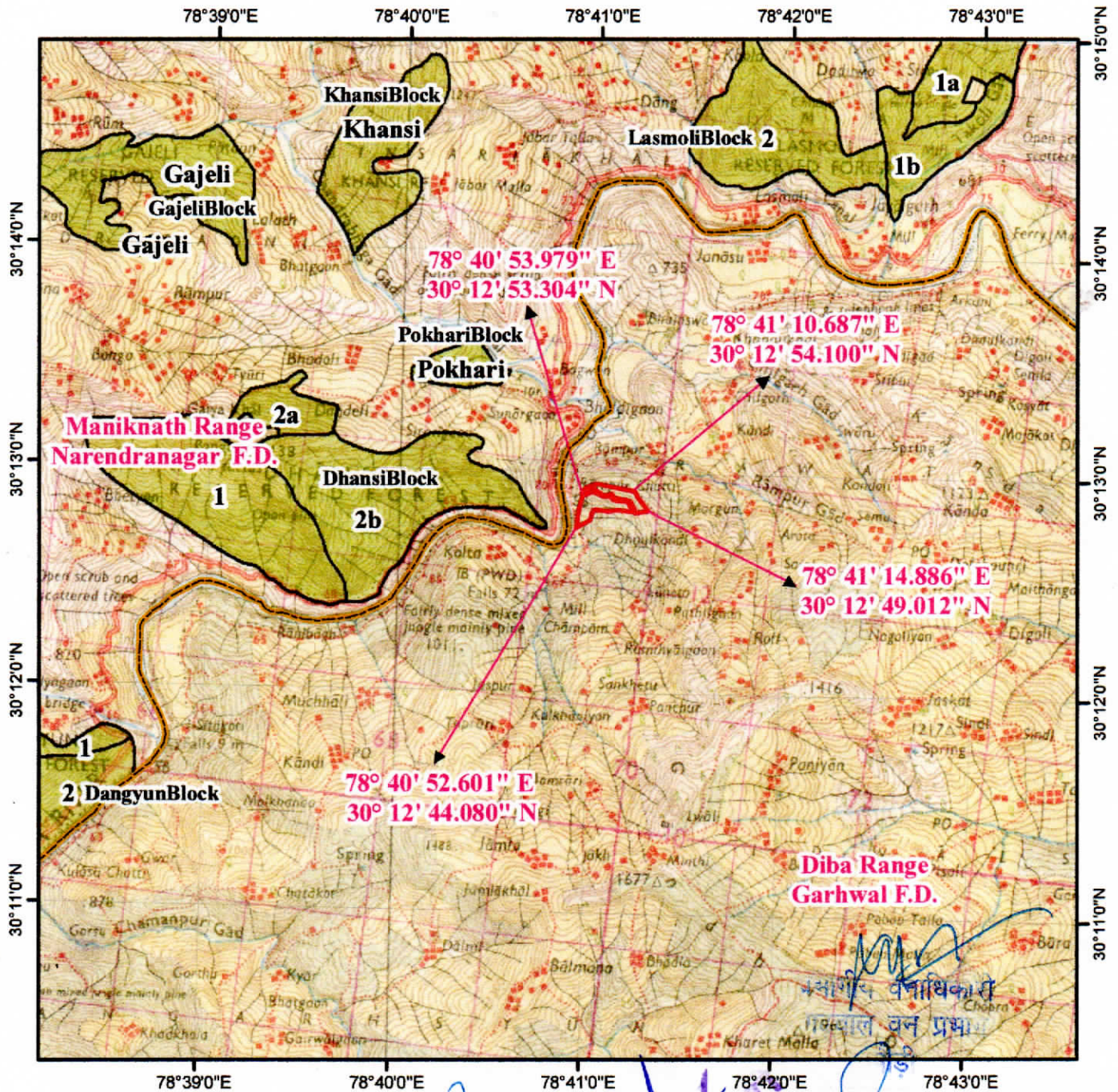
महोदय

राजस्थान न्यायिक
क्षेत्र २१७४२५
तहसील श्रीवास्तव
जिला-पीडो गढ़वाल

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैण के
अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुनेथमोटर मार्ग के निर्माण हेतु
चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (मरगुण सिविल सोयम)

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सि.ख.) बैज
मुख्यालय-सतपुली पौड़ी गढ़वाल

अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सि.ख.) बैजर
मुख्यालय-सतपुली पौड़ी गढ़वाल

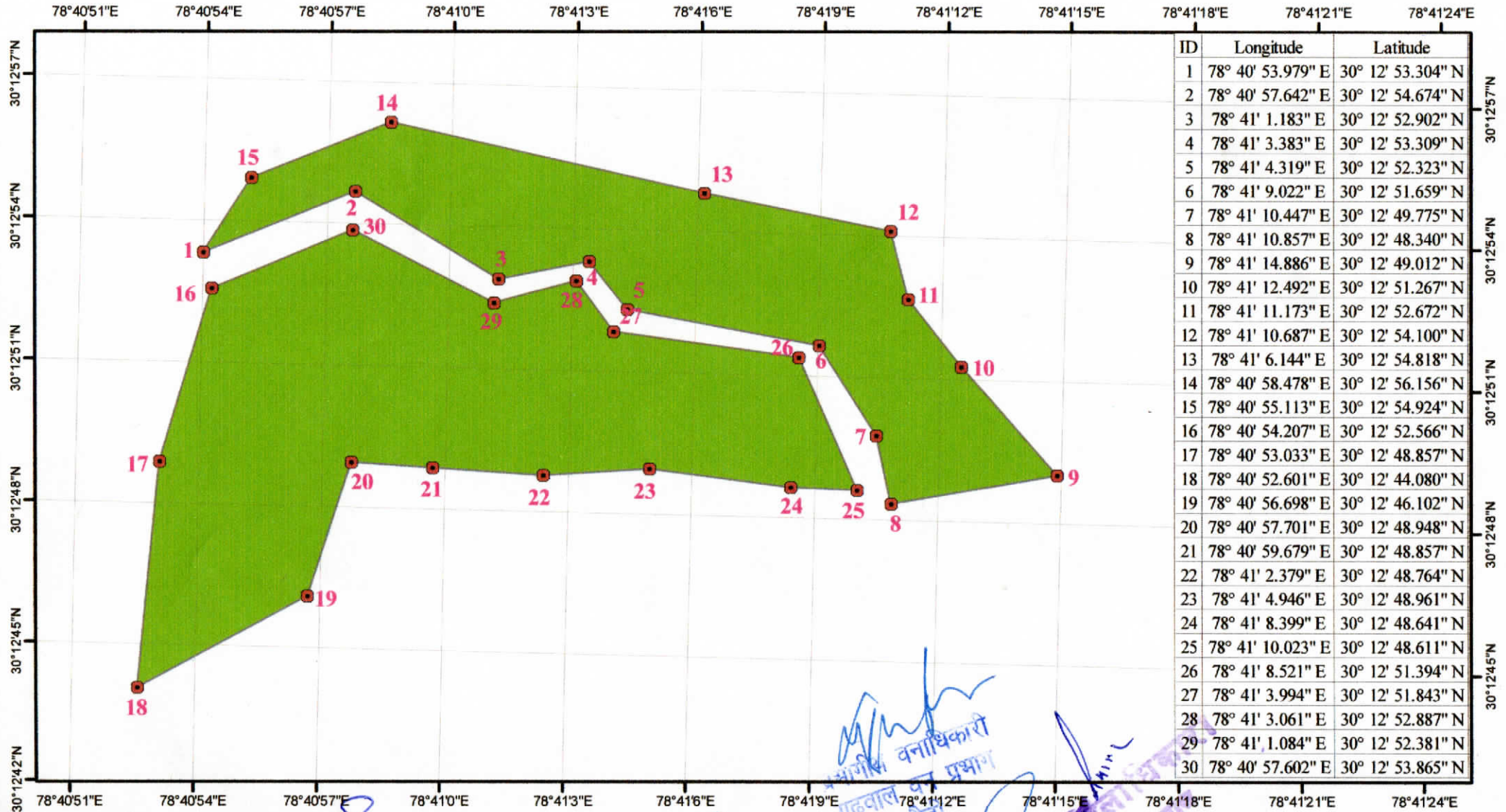
तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल

16.3.18
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

जियो रेफरेन्स मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुनेथ
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (मरगुण सिविल सोयम)

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:3,500



Legend

- GPS Co ordinates
- Proposed Palntation

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) नैज
मुख्यालय-सतपुली पौड़ी गढ़वाल

अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) नैज
मुख्यालय-सतपुली पौड़ी गढ़वाल

16.3.18
अधिशाली अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल